

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/प-1/2/8/वि/स्था/2019/12050

दिनांक:- 27/09/19

:: आदेश ::

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर क्रमांक:- प. 7(1)राज-1/2018 दिनांक 27.09.2019 के अनुसरण में जिला कलेक्टर कार्यालयों में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों का अर्न्तजिला स्थानान्तरण / पदस्थापन एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री	पदनाम	कहां से	कहां को
1	विक्रम सिंह	कनिष्ठ सहायक	उपखण्ड कार्यालय बायतु जिला बाडमेर	जिला उदयपुर
2	प्रवीण भादू	कनिष्ठ सहायक	उपकोष कार्यालय धोरीमन्ना, जिला बाडमेर	उपकोष कार्यालय साचौर जिला जालौर
3	सुदेश कुमार पाराशर	कनिष्ठ सहायक	उप तहसील कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर	तहसील केकडी जिला अजमेर
4	तेजवीरसिंह	कनिष्ठ सहायक	तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ	जिला कलेक्ट्रेट भरतपुर
5	योगन्द्र कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	जिला कलेक्ट्रेट चित्तौडगढ	जिला कलेक्ट्रेट भरतपुर
6	दिनेश खण्डेलवाल	कनिष्ठ सहायक	उपखण्ड कार्यालय चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ	जिला कलेक्ट्रेट जयपुर
7	दीपक शर्मा	कनिष्ठ सहायक	तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ	जिला कलेक्ट्रेट जयपुर
8	विरमाराम विश्नोई	कनिष्ठ सहायक	जिला कलेक्ट्रेट चित्तौडगढ	जिला कलेक्ट्रेट जलौर
9	महेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली	तहसील छतरगढ जिला बीकानेर
10	गणेश चौधरी	कनिष्ठ सहायक	कोष कार्यालय पाली, जिला पाली	जिला कलेक्ट्रेट बीकानेर
11	दीपिका शेखावत	कनिष्ठ सहायक	कोष कार्यालय श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर	जिला कलेक्ट्रेट जयपुर
12	महावीर सिंह भाटी	कनिष्ठ सहायक	जिला कलेक्ट्रेट जैसलमेर	जिला कलेक्ट्रेट बीकानेर
13	विक्रम सिंह भाटी	कनिष्ठ सहायक	कोष कार्यालय जैसलमेर जिला जैसलमेर	उपखण्ड कार्यालय कोलायत जिला बीकानेर
14	गुरपीत सिंह	कनिष्ठ सहायक	कोष कार्यालय जैसलमेर जिला जैसलमेर	जिला श्रीगंगानगर
15	वेदप्रकाश	कनिष्ठ सहायक	तहसील सावर जिला अजमेर	जिला कलेक्ट्रेट बीकानेर
16	महावीर ओझा	कनिष्ठ सहायक	उपखण्ड कार्यालय किशनगढ जिला अजमेर	जिला बीकानेर
17	नन्दलाल नाई	कनिष्ठ सहायक	उपखण्ड कार्यालय मसूदा जिला अजमेर	जिला कलेक्ट्रेट बीकानेर
18	अजीत सिंह	कनिष्ठ सहायक	उपखण्ड कार्यालय मसूदा जिला अजमेर	जिला कलेक्ट्रेट बीकानेर
19	चन्द्रप्रकाश	कनिष्ठ सहायक	तहसील अराई जिला अजमेर	जिला कलेक्ट्रेट सीकर

उक्त कार्मिकों के स्थानान्तरण स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर होने के कारण किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं योगकाल आदि देय नहीं होगा एवं उपरोक्त कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार किया जावे।

